

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0, जयपुर

क्रमांक: वीएस/3/19/2019/

दिनांक:

- 1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

विषय:— वर्ष 2018 के अंतरंग एवं बाह्य रोगियों का वार्षिक प्रतिवेदन सी.से.ई.
(एम-72) भिजवाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— निदेशालय के पत्र क्रमांक: 18 दिनांक: 17.1.2019 एवं 58 दि0
14.2.19

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में अनुरोध है कि वर्ष 2018 के अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों का वार्षिक प्रतिवेदन "सी.से.ई" (एम-72) आपके अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था। जो आज दिवस तक प्राप्त नहीं हुये हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रतिवेदन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं इससे उच्च स्तर की प्रत्येक चिकित्सा संस्थान द्वारा कलेण्डर वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है। इसमें चिकित्सा संस्थान के आउटडोर, इन्डोर एवं इण्डोर अटेण्डेन्स मरिजों की मासिक संख्या भी अंकित होती है। सी0टू0ई0 प्रतिवेदन से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर देने, राज्य में नई चिकित्सा संस्थान खोलने तथा कार्यरत संस्थानों को कमोन्नत करने में होता है।

आगामी माह में होने वाले विधान सभा के बजट सत्र में सी0टू0ई0 प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचनाओं की आवश्यकता होगी इसलिए आपके अधीन आने वाले समस्त/बकाया चिकित्सा संस्थानों से वार्षिक प्रतिवेदन एकत्रित कर निदेशालय के सांख्यिकी अधिकारी (जीवनांक) कमरा नं0 सी-211 में अतिशीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय

(डॉ0 रवि प्रकाश शर्मा)
अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: वीएस/3/19/2019/114

दिनांक: 16/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1-प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।